राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email address - pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 8(13)(10)/ग्रावि/अनु.8/एसपीएमआरएम/2015/पार्ट–2 जयपुर, दिनांक 26/11/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.),
अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर।

विषय :– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन) के तहत योजना के **द्वितीय फेज** के तहत चयनित 6 क्लस्टर्स के लिए **केन्द्रीयांश की सीजीएफ की प्रथम किश्त** राशि रू. 2430 लाख जिले के पी.डी. खाते में हस्तांतरित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 8(13)(10)ग्रावि/अनु. 8/एसपीएमआरएम/बजट/2016 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा विषयान्तर्गत राशि आपके जिले के पीडी खाते में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन मुख्यालय स्थित पीएमएवाई–जी अनुभाग के द्वारा दिनांक 12.10.2018 को सचिवालय कोषालय को भिजवाने हेतु बिल बनाकर प्रस्तुत किया गया, चूंकि दिनांक 06.10.2018 को विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए समसंख्यक पत्रावली पर मुख्य सचिव महोदय स्तर से दिनांक 03.11.2018 को अनुमोदन प्राप्त होने के बाद राशि रू. 2430 लाख आपके जिलों के पी.डी. खातो में निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों की पालना की शर्त के साथ हस्तांतरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

भवदीय
26/11/18
(हिमबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.), ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ, बांसवाडा, जयपुर, अलवर, बीकानेर तथा जालौर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) प्रतापगढ, बांसवाडा, जयपुर, अलवर, बीकानेर तथा जालौर को ई–मेल के माध्यम सहित प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 8(13)(10)ग्रावि/अनु. 8/एसपीएमआरएम/बजट/2016 दिनांक 17.09.2018 के अनुसार अपने जिले के पीडी खाते में राशि प्राप्त होना सुनिश्चित करावें तथा यदि राशि आपके जिले के खाते में नहीं आती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस पत्र **की दिनांक से 7 दिवस के भीतर सूचित कराने का श्रम करावें।**
6. कोषाधिकारी, प्रतापगढ, बांसवाडा, जयपुर (शहर), अलवर, बीकानेर तथा जालौर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर, रानीवाड़ा (जालौर), अरनोद (प्रतापगढ़), गढी (बांसवाड़ा), दूदू (जयपुर), रामगढ़ (अलवर)।
9. केशियर, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को आईडब्लूएमएस में अपडेट करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

26/11/18
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)